कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड
(उत्तराखंड कैम्पा प्रकोष्ठ)

पत्रांक–252/3–2/16–17 दिनांक, 27 जुलाई, 2016

सेवा में,

1. समस्त वन संरक्षक/निदेशक, उत्तराखण्ड
2. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तराखण्ड

विषय :– वर्षा जल संरक्षण हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में वन क्षेत्रों में कन्टूर ट्रेन्च/नाली के निर्माण के संशोधित लक्ष्यों के सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि का आवंटन।

सन्दर्भ :– प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड का पत्रांक–पी0ओ0/1127, दिनांक 04–06–2016.

महोदय,

प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड के संदर्भित पत्र के क्रम में वनाग्नि की दृष्टि से संवेदनशील एवं मुख्यतः चीड़ बाहुल्य क्षेत्रों में जल संरक्षण के उद्देश्य से कन्टूर ट्रेन्च / नाली निर्माण के संशोधित लक्ष्यों के सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि निम्नलिखित तालिका में वन प्रभागों के सापेक्ष कॉलम 5 के अनुसार, वार्षिक कार्ययोजना 2016–17 हेतु स्वीकृत मद के अंतर्गत नई बैकिंग प्रणाली के तहत नये बैंक खाते में व्यय किये जाने हेतु आहरण सीमा निर्धारित कर दी गई है :–

क्रम संख्या	प्रभाग का नाम	ट्रेन्चों के निर्माण हेतु क्षेत्रफल (हे0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख ₹)	अवमुक्त की गई धनराशि
1	2	3	4	5
1	टौंस वन प्रभाग, पुरोला	250	22.50	11.25
2	गोविन्द वन्यजीव विहार	100	9.00	4.50
3	अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट	250	22.50	11.25
4	चकराता वन प्रभाग	250	22.50	11.25
5	मसूरी वन प्रभाग	250	22.50	11.25
6	भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी	250	22.50	11.25
7	उत्तरकाशी वन प्रभाग	250	22.50	11.25
8	भूमि संरक्षण वन प्रभाग, उत्तरकाशी	200	18.00	9.00
9	टिहरी डैम द्वितीय वन प्रभाग	200	18.00	9.00
10	टिहरी डैम प्रथम वन प्रभाग	200	18.00	9.00
11	नरेन्द्रनगर वन प्रभाग	300	27.00	13.50
12	टिहरी वन प्रभाग	300	27.00	13.50
13	गढ़वाल वन प्रभाग	250	22.50	11.25
14	सिविल सोयम वन प्रभाग, पौड़ी	300	27.00	13.50
15	रूद्रप्रयाग वन प्रभाग	350	31.50	15.75

16	बद्रीनाथ वन प्रभाग	250	22.50	11.25
17	केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग	200	18.00	9.00
18	अलकनन्दा भू0 सं0 वन प्रभाग	200	18.00	9.00
19	नन्दादेवी रा0 पा0	50	4.50	2.25
20	देहरादून वन प्रभाग	100	9.00	4.50
21	लैन्सडौन वन प्रभाग	200	18.00	9.00
22	भू0 सं0 वन प्रभाग, लैन्सडौन	200	18.00	9.00
23	चम्पावत वन प्रभाग	200	18.00	9.00
24	पिथौरागढ़ वन प्रभाग	250	22.50	11.25
25	बागेश्वर वन प्रभाग	300	27.00	13.50
26	अल्मोड़ा वन प्रभाग	300	27.00	13.50
27	सिविल सोयम अल्मोड़ा वन प्रभाग	300	27.00	13.50
28	भू0 सं0 वन प्रभाग, रानीखेत	300	27.00	13.50
29	अति0 भू0 सं0 वन प्रभाग, रामनगर	250	22.50	11.25
30	नैनीताल वन प्रभाग	150	13.50	6.75
31	भूमि संरक्षण वन प्रभाग नैनीताल	100	9.00	4.50
	कुल योग	**7050 है0**	**634.50**	**317.25**

संपादित कार्यों का विभागीय तथा तृतीय पक्ष मूल्यांकन कराया जाएगा। अवमुक्त धनराशि का व्यय, निम्नलिखित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए, किया जाना सुनिश्चित किया जाए :–

1. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 तथा अन्य वित्तीय नियमों का पालन किया जाए।
2. उक्त कार्यों को किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित कार्य अन्य योजनाओं में प्रसतावित अथवा कराए न गए है।
3. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए।
4. कार्य की सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाए।
5. कैम्पा योजना के अन्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले समस्त कार्यों हेतु श्रम मंत्रालय द्वारा अद्यतन प्रचलित/निर्धारित मजदूरी दरों के अनुरूप ही, अनिवार्य रूप से कार्य सम्पादित करवायें जाय। कम दरें देने पर आहरण–वितरण अधिकारी ही उत्तरदायी होगें।
6. सम्पादित कार्यों को अनिवार्य रूप से ई–ग्रीनवॉच पोर्टल में अपलोड कर समयबद्ध प्रविष्टि की जाये।
7. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।
8. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 (लेखा नियम) भाग–1 एवं खण्ड–7 (वन लेखा नियम) आय–व्ययक संबंधी नियम (बजट मैनुअल) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2008 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
9. निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण करा लिया जाए एवं व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनयूल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, में पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।

10. व्यय की अधिकतम सीमा कैम्पा निधि की स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
11. आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें।
12. धनराशि का उपयोग स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना 2015–16 के अंतर्गत नियमानुसार स्वीकृत कैम्पा मदों में ही किया जाय। स्वीकृत मदों से भिन्न मदों में धनराशि व्यय न की जाय।
13. कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।
14. प्रभागीय तथा वृत्त स्तर पर प्रशासनिक/वित्तीय प्रबन्धन के लिए समयबद्ध/प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
15. समस्त स्थल विशिष्ट कार्य की अक्षांश व देशांतर की कैम्पा एम0आई0एस0 में प्रविष्टि समयबद्ध रूप से की जाय तथा सम्पादित कार्यों के यथासम्भव फोटो भी एम0आई0एस0 में अपलोड किए जाएं।
16. सम्पादित कार्यों की प्रविष्टि कैम्पा एम0आई0एस0 में समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए।
17. प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने एवं निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए सामग्रियों व कार्यों की मात्रा को छोटे–छोटे टुकड़ों में न बांटा जाए।

भवदीय,

(हस्ताक्षर) 27.7.2016

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा

पत्रांक:– 252/3–2/2016–17 दिनांकित

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड ।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल एवं कुमांऊं क्षेत्र, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
4. मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक उत्तराखंड, देहरादून।

(हस्ताक्षर) 27.7.2016

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा